जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन सम्पर्क अनुभाग)

प्रेस–विज्ञप्ति

एमनेस्टी योजना 28 फरवरी, 2013 तक

बकाया राशि चुकाने पर मिलेगी ब्याज एवं पैनल्टी में शत–प्रतिशत छूट

जयपुर, 10 जनवरी। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता जिनके विद्युत कनेक्शन 31 मार्च 2012 से पूर्व राशि जमा नही कराने के कारण स्थाई रुप से कट गये थे उनके लिए बिना ब्याज व पेनल्टी के बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने की एमनेस्टी योजना की अवधि को 28 फरवरी, 2013 तक बढा दिया गया है। इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता उठा सकेगें।

ऊर्जा मंत्री डा0 जितेन्द्र सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत सभी श्रेणी के उपभोक्ता लाभ प्राप्त कर सकेगें। बकाया व विद्युत सम्बन्ध विच्छेद उपभोक्ता अपनी बकाया राशि 28 फरवरी, 2013 तक एक मुश्त जमा करा देते हैं तो उन्हे निगम द्वारा उनकी बकाया राशि पर बनने वाले ब्याज व पैनल्टी की समस्त राशि की छूट प्रदान की जाएगी।

इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं द्वारा सम्पूर्ण बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ही मिलेगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे अपने से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को राशि जमा कराने व योजना का लाभ लेने के लिए सदे कागज पर आवेदन पत्र दे सकेगें।

ऊर्जा मंत्री ने राज्य के समस्त विद्युत सम्बन्ध विच्छेद (पीडीसी) उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी बकाया राशि जमा करावें तथा ब्याज व पैनल्टी में छूट प्राप्त कर अपना पुनः विद्युत कनेक्शन जुड़वाएं।

————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 3/2013